भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3076
06 दिसंबर, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

[illegible]

3076. **श्री ज्योतिमय सिंह महतोः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार या उसकी एजेंसियों ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण या सुरक्षा संप्रेक्षा की है कि बोतलबंद पेयजल की बॉटलिंग इकाइयां बिना उपयुक्त लाइसेंस के कैसे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश भर के सभी पेयजल संचालक एफएसएसएआई और बीआईएस प्रमाणन के साथ ही बोलतबंद पेयजल का विनिर्माण और विक्रय कर रहे हैं और यदि हां, तो [illegible] प्रमाणन [illegible] इकाइयों की संख्या का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो विगत पांच वर्षों के दौरान गुणवत्ता और विनियामक मानकों का अनुपालन न करने वाली इकाइयों के विरुद्ध क्या कारवाई की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण संचालित नहीं किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 (1) [illegible] 'कोई भी व्यक्ति किसी लाइसेंस के अधीन छोड़कर कोई भी खाद्य व्यवसाय प्रारंभ [illegible]।'

इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा मानक (विक्रय पर प्रतिबंध एवं पाबंदी) विनियम, 2011 उप-विनियम 2.3.14 (17) और 2.3.14 (18) [illegible] 'भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिह्न के [illegible] विनिर्माण, विक्रय या विक्रय [illegible] किसी पैकेज्ड

□□ □□ □□□ □□ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम □□□□□□□ □□□□ब□□ प्र□□□ □□□□□ □□ □□□□ प्र□□ □□□ □□श□□ □□

पैकेज्ड मिनरल वाटर और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (मिनरल वाटर के अलावा) के □□□□ □□ क्र□□□ □□द्□ सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानकों और फूड एडिटिव्स) विनियम, 2011 □□□□-□□□□ 2.10.7 □□ 2.10.8 के तहत निर्धारित किया गया है।

□□□ □□□□□□ □□□□□ 2006 □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□नियमों और विनियमों □□ प्रवर्तन कार्य मुख्य रूप से राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों का कार्य है । इसलिए एफएसएसएआई I □□□□□- समय पर राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को □□□क्षेत्राधिकार में नियमित प्रवर्तन / निगरानी □□□ □□□□ और यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं कि नहीं पैकेज्ड □□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ प्र□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□ज□ □□□□ गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरेगा। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 □□□□□□ अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के तहत निर्धारित मानकों के अनुपालन की जांच करने □□ लिए संबंधित राज्यों / केंद्रशासित प्रदेश के खाद्य सुरक्षा विभागों के अधिकारी □□ज□ □□□□ □□□ खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और □□□ □□□ की जांच कार्य कर रहे हैं □□□□□□□ में जहां खाद्य नमूने □□ष□ □□□□□□□ □□□□□□ □□द्□ □□□□ □□□□□ के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं □□□□ □□□□□, 2006 □□□ध□□ IX के तहत निर्धारित दंड प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कारवाई शुरू □□ □□ □□

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने सूचित किया है कि वे □□□□□ □□□□ □□□□ 14543: 2016 □□□□रू□ □□ज□ □□□□ □□ □त□दन करने वाले विनिर्माता एककों को अपने उत्पादों □□ □□□□□ □□□□ □ह□ □□ □□□□□ □□□□वाले विनिर्माता एककों को लाइसेंस देता है। 02.12.2019 □□, □□□□□ □□□□ □□ □□ 14543: 2004 □□□□□□ □□ज□ पेयजल पर बीआईएस मानक चिह्न उपयोग करने हेतु 6214 □□□□ प्र□□□ □ □□ □□-□□□□□□□ □□□□□□द्□□ □□□□□ चिह्न □□ □रु□□□ □□□□□□ □□□□□, बीआईएस द्वारा खोज और जब्ती कारवाई की जाती है और कानूनी कारवाई की जाती है।

(□): □ज्□/□□ □□□ प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, 2017-18 □□ □□ □□□ □□□□□ज□ पेयजल से संबंधित मानदंडों को पूरा नहीं करने हेतु एफएसएसएआई द्वारा खाद्य व्यवसाय संचालकों □□ विरूद्ध की गई कारवाई का विवरण □□□ग□- I □□ □□□ □□ □□

बीआईएस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, □□ज□ □□□□/ □□ज□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□ □ □□ □□ □□□ □□ □ब□ □□□□□ की संख्या अनु□ग□-II □□ □ □□ □□

***

अनुलग्नक -I

वर्ष	विश्लेषित नमूनों की संख्या	असुरक्षित अपमिश्रित नमूनों की संख्या	प्रारम्भ किए गए मामलों की संख्या	दोषसिद्धि मामलों की संख्या	मामलों की संख्या/जुर्मानों की राशि
2013-14	2977	577	169	4	अनुपलब्ध/ 10,79,150
2014-15	734	226	130	16	14 / 3,18,000
2015-16	767	345	176	39	64 / 30,49,100
2016-17	697	224	131	33	40 / 7,05,500
2017-18	1123	496	246	97	135 / 39,69,500

□□□ग□□- II

□□ज□ पेयजल/नेचूरल मिनरल वाटर हेतु पिछले पांच वर्षों म की गई खोज एवं जब्ती कारवाई की संख्या

2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (03/12/2019 □□)
74	51	41	56	12

पैकेज्ड नेचुरल मिन□□ □□□□ □□□□□□ □ □रु□□□□ □□□□□□□□□्न□